न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 21/2017

बउनवान

धनराज आयु 45 वर्ष पुत्र रामकरण, जाति मीणा, निवासी रारोती तहसील बारां, जिला बारां (राज0)

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला बारां (राज0) (रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री ओमप्रकाश मेहता II, अभिभाषक (अपीलांट)

2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 09.09.2022

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 16.01.2017 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की प्रस्तुत की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम रारोती तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 43 रकबा 0.80 है., किस्म–चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 400/–रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एंव पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है अपीलांट के व उसके परिवार के खातेदारी की आराजीयात जिसका हल्का पटवारी द्वारा कोई सीमाज्ञान नहीं किया गया है। गलत रूप से हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट कर चारागाह भूमि पर कब्जा होना बताया है जिस पर तहसीलदार बारां द्वारा बिना कोई तहकीकात किये दिनांक 16.01.2017 के लिये नोटिस जारी किया जिस पर उसी तिथि को निर्णय पारित करते हुए सिविल कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त निर्णय में स्वविवेक का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है न उक्त निर्णय, निर्णय की श्रेणी में आता है [illegible] फोर्मा पर केवल भरकर उक्त निर्णय पारित किया गया है जो विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.01.2017 निरस्त किया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.19 11:09:45 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट का किसी सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पूर्व बेदखलीनामे की प्रति संलग्न नहीं है। अपीलांट का किसी भी सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट के खाते की भूमि की कभी भी पैमाइश नहीं की है। व्यक्तिगत तामील नहीं करवाई गई है। जिस दिनांक का नोटिस जारी किया गया उसी तिथि को परफोर्मा पर निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपित किये गये जुर्माने की राशि जमा करवा दी है तथा उक्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.01.2017 निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का के बयान से होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 636/2016 निर्णय दिनांक 08.03.2016 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है, अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा है। विवादित आराजी पर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 43 रकबा 0.80 है. किस्म–चारागाह ग्राम रारोती पर सम्वत् 2072 में भी अतिक्रमण किया था जिसे मिसल नम्बर 636/2016 में पारित निर्णय दिनांक 08.03.2016 से बेदखल किया जाना पटवारी हल्का के बयान से भी प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 32/2017 में पारित आदेश दिनांक 16.01.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09.05.2022 को खुले इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.19 11:09:45 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज॰)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज॰)